न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –105/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00044

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

सोहन बाई पत्नि चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी लसूड़िया तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. अप्रार्थीया स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 26/08/2025

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम लसुडिया के आराजी खसरा नम्बर 417 रकबा 1.01 हे0, भूमि दिनांक 02.12.2010 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थीया ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैं एक परित्यक्ता महिला हूॅ तथा मेरे नाम से भूमि खाता संख्या नया 227 पुराना 211 खसरा नम्बर 417 रकबा 1.01 हे0 भूमि ग्राम लसूडिया पटवार हल्का गोयन्दा में आवंटन हुई थी जो मेरे नाम से गैर खातेदारी चली आ रही है तथा इस भूमि पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है जब भी मैं काश्त करने जाती हूॅ तो यह लोग मुझे काश्त नहीं करने देते है । इस कारण श्रीमान की सेवामें प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ परित्यक्ता महिला को ग्राम गोयन्दा में आवंटित करवाई जावें जो मेरे आवास के नजदीक तथा ग्राम गोयन्दा में सरकारी भूमि स्थित है । मेरे पास कोई अन्य कृषि आराजी भी नहीं है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझ परित्यक्ता महिला को ग्राम पंचायत गोयन्दा में सरकारी भूमि आवंटित करवाने की कृपा करें ।

3 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम लसूडिया तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 417 रकबा 1.01 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का

जिला कलक्टर
कोटा

उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीया उनके घर नजदीक ग्राम गोयन्दा में भूमि आवंटन चाहती है । प्रकरण इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14(4) में प्रस्तुत है, जिसमें कब्जा दिलाने अथवा आवंटन की कार्यवाही इस स्तर पर नहीं की जा सकती है । अतः अप्रार्थीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4 हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 417 रकबा 1.01 हे0, भूमि दिनांक 02.12.2010 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है तथा अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य पाते है ।

5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया के हक में दिनांक 02.12.2010 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि लसूडिया के खसरा नम्बर 417 रकबा 1.01 हे0, सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि का राजहित में तहवील सरकार लेवें ।

6 निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा